

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल पाँच बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 06 (छ:) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। 17 (सत्रह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया।

गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति एवं पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान वर्ष भगवान बुद्ध के ज्ञान-प्राप्ति (Enlightenment) का 2600वाँ वर्ष होने के कारण गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा का नाम भगवान बुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा किए जाने के लिए राजकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ।

दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 को माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 एवं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 की एक-एक प्रति तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण का वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 के अधिकाई व्यय विवरण का उपस्थापन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का वित्त लेखे भाग-1, 2010-2011, वित्त लेखे भाग-2, 2010-2011 एवं विनियोग लेखे 2010-2011, जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-181, दिनांक 29.07.2011, एस0ओ0-183, दिनांक 09.08.2011, एस0ओ0-239, दिनांक 26.08.2011, एस0ओ0-241, दिनांक 01.09.2011 तथा एस0ओ0-385, दिनांक 25.10.2011 तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 (4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-391, दिनांक 10.11.2011 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-30(2) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली, 2011 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित जल संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बिहार लोकायुक्त विधेयक, 2011 (2) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011 (3) बिहार भूमि दाखिल-खारिज विधेयक, 2011 (4) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (5) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (6) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (7) बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (8) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (9) बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (10) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 एवं (11) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004) विधेयक, 2011 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

सत्र के दौरान कुल-936 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। उसमें कुल-682 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 24 अल्पसूचित प्रश्न, 484 तारांकित प्रश्न एवं 174 अतारांकित प्रश्न थे। इन स्वीकृत प्रश्नों में से 70 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 90 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये। 02 प्रश्न अपूछ हुए, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-03 एवं 517 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र के दौरान कुल-84 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के 'माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये।

बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गये।

इस सत्र में कुल-94 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 64 स्वीकृत हुए एवं 30 अस्वीकृत हुए। कुल-50 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 35 स्वीकृत एवं 15 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल-113 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 91 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 14 अमान्य हुए।

बिहार विधान सभा में पंचदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के तीन माननीय सदस्यों में से दो माननीय सदस्य यथा- डा० प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-205, भभुआ) एवं श्री नौशाद आलम (क्षेत्र संख्या-53, ठाकुरगंज) को जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

इस सत्र में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-40, लौकहा से उपचुनाव में नव-निर्वाचित सदस्य, श्री सतीश कुमार साह ने सदन में शपथ-ग्रहण किया।

इस सत्र के अन्त में मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक अवश्य ही सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दें। घोषणा संबंधी प्रपत्र बिहार विधान सभा के वेबसाइट www.vidhansabhabih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ। पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लग्न और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

आज इस सत्र का समापन ही नहीं हो रहा है, बल्कि शीघ्र ही वर्ष 2011 का अवसान भी होने वाला है। क्रिसमस एवं नव वर्ष 2012 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नया वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

